कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 41/2020 दिनांक: अक्टूबर, 07/2020

प्रेस नोट

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी चेतगंज के कुशल नेतृत्व में दिनांक 06.10.2020 को थाना जैतपुरा पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र के दौरान चौकाघाट पानी टंकी के पास से अनुराग सिंह पुत्र गोवर्धन सिंह निवासी मनसापुर पोस्ट हरहुआ थाना बड़ागाँव जनपद वाराणसी उम्र लगभग 27 वर्ष को समय करीब 21.30 बजे गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से एक अदद नाजायज कट्टा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस बरामद हुआ। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना जैतपुरा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 182/2020 धारा-3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- अनुराग सिंह पुत्र गोवर्धन सिंह निवासी मनसापुर पोस्ट हरहुआ थाना बड़ागाँव जनपद वाराणसी उम्र लगभग 27 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

- एक अदद नाजायज कट्टा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- उ0नि0 रामसागर गुप्ता, का0 जितेन्द्र सिंह व का0 सुख सिंह थाना जैतपुरा वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 42/2020 दिनांक: अक्टूबर, 07/2020

प्रेस नोट

आज दिनांक 07.10.2020 को थाना भेलूपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 0361/2020 धारा 376/506 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त नौसाद गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी द्वारा चलाये जा रहे, अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन, क्षेत्राधिकारी भेलूपुर व प्रभारी निरीक्षक भेलूपुर के नेतृत्व में आज दिनांक 07.10.2020 को थाना भेलूपुर पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 0361/2020 धारा 376/506 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त नौसाद पुत्र निसार निवासी एन 12/191 कोलूहा बजरडीहा थाना भेलूपुर जिला वाराणसी उम्र 18 वर्ष को सुदामापुर तिराहे से समय करीब 11.05 बजे गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना भेलूपुर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- नौसाद पुत्र निसार निवासी एन 12/191 कोलूहा बजरडीहा थाना भेलूपुर जिला वाराणसी उम्र 18 वर्ष।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- प्रभारी निरीक्षक अजय कुमार श्रोत्रीय, व0उ0नि0 सुधीर कुमार त्रिपाठी, उ0नि0 अजय वर्मा चौकी प्रभारी बजरडीहा व कां0 दिलशाद थाना भेलूपुर जनपद वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

वाराणसी पुलिस : आपकी अपनी पुलिस

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 43/2020 दिनांक: अक्टूबर, 07/2020

प्रेस नोट

दिनांक 07.10.2020 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी द्वारा जनपद में कानून/शान्ति व्यवस्था बनाये रखने एवं अपराध व अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु समस्त राजपत्रित अधिकारियों व समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों के साथ यातायात लाईन स्थित सभागार में अपराध गोष्ठी आयोजित की गयी। इस दौरान निम्नलिखित बिन्दुओं पर कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देश दिये गये-

1. भूमि विवाद रजिस्टर को अद्यावधिक कर प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करें।
2. नियमित जनसुनवाई कर शिकायतों का गम्भीरता से निस्तारण करायें।
3. विवेचना निस्तारण हेतु चल रहे अभियान में अधिक से अधिक विवेचनायें निस्तारित करें।
4. सक्रिय अपराधियों/संगठित माफिया के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करें।
5. सर्राफा बाजारों में विशेष सतर्कता रखते हुए नियमित सशस्त्र ड्यूटी लगायें।
6. साइबर क्राइम सम्बन्धित प्रकरणों में तत्काल साइबर सेल को सूचित करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
7. यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करें।
8. आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत शासन द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें।
9. कोविड-19 के दृष्टिगत शासन द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

वाराणसी पुलिस : आपकी अपनी पुलिस

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 44/2020 दिनांक: अक्टूबर, 07/2020

प्रेस नोट

आज दिनांक 07.10.2020 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी व जिलाधिकारी वाराणसी द्वारा यातायात लाईन स्थित सभागार में अभियोजन कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गयी। बैठक में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दृष्टिगत की जाने वाली तैयारियों, आगामी त्यौहारों के दौरान शासन द्वारा निर्गत निर्देशों का अनुपालन करने, राजस्व व पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त रुप से भूमि विवादों पर प्रभावी कार्यवाही करने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश दिये गये। तत्पश्चात संयुक्त निदेशक अभियोजन द्वारा अभियोजन के दौरान होने वाली त्रुटियों व विवेचना/अभियोजन सम्बन्धी बारीकियों से अवगत कराया गया। उक्त बैठक में जनपद के प्रशासनिक /पुलिस/अभियोजन विभाग के अधिकारीगण मौजूद रहे।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

वाराणसी पुलिस : आपकी अपनी पुलिस

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 45/2020 दिनांक: अक्टूबर, 07/2020

प्रेस नोट

जनपद वाराणसी में कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु जारी आदेशों के अनुपालन के क्रम में वाराणसी पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में अनावश्यक घूम रहे, गैर जरुरी तौर से होटल/गेस्ट हाऊस/दुकानें खुली रखने वाले संचालकों, कालाबाजारी करने वालों व राज्य सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन से सम्बन्धित नियमों की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती बरतते हुए आज दिनांक 07-10-2020 को विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए *कुल 40 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-151 सीआरपीसी* के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार किया गया तथा *101 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-188 चालानी रिपोर्ट व धारा-51 आपदा प्रबन्ध अधिनियम* के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी। जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों, 14 बार्डर प्वाइंट व 49 पुलिस नाकों पर सघन चेकिंग अभियान चलाते हुए *कुल 2266 वाहनों का चालान, 10 वाहनों को सीज तथा 330 वाहनों से रु0-2,89,000/- समन शुल्क वसूल* किया गया।

जनपद वाराणसी में कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु जारी आदेशों के अनुपालन के क्रम में वाराणसी पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में अनावश्यक घूम रहे, व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती बरतते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी के आदेशानुसार आज दिनांक 07-10-2020 को जनपद वाराणसी राज्य सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन से सम्बन्धित नियमों का उल्लंघन करने वाले तथा बिना मास्क पहने घूम रहे व्यक्तियों के विरूद्ध अभियान चलाकर बिना मास्क धारण किये *कुल 1198 व्यक्तियों से रु0-76,200/- जुर्माना* जमा कराया गया।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।